Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, SEPT-OCT, 2020, VOL- 8/61

घटता बाल लिंग अनुपात: एक गंभीर समस्या
(DECLINE CHILD SEX RATIO: A SERIOUS PROBLEM)

Manisha Rani[1] & Jyoti Tiwari[2], Ph. D.
[1]*Research Scholar, Department of Home Science, Birla Campus, H.N.B.G.U. Srinagar (Uttarakhand)*
[2]*Associate professor, Department of Home Science, Birla Campus, H.N.B.G.U. Srinagar (Uttarakhand)*

Abstract

"देखो चारों ओर वैश्वीकरण का शोर है, पर रास्ते में इसके बाधाएं घनघोर है|
ना होगा चहुँविकास, जनाधिकार भी कमजोर है, जब हर घर-परिवार में, लिंगानुपात डांवाडोल है||"

मानव आबादी में 0-6 साल (जन्म से लेकर 6 वर्ष) की उम्र में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या के अनुपात को 'बाल लिंगानुपात' अथवा 'शिशु लिंगानुपात' कहते हैं| जिसमें कमी होने अथवा निम्नता व असंतुलन की स्थिति को 'घटता बाल लिंग अनुपात' (Decline Child Sex Ratio) कहा जाता है, इसके प्रभावी होने से किसी भी देश के लिए वैश्वीकरण का नारा, मात्र एक खूबसूरत ख्वाब बनकर रह जायेगा| वैश्वीकरण की प्रक्रिया समाज में परिवार व लिंग, शिक्षा व साहित्य, आर्थिक, राजनीतिक आदि समान ताकतों के विकास का संयोजन है| जिसमे समाज के प्रत्येक मानव के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है| ईश्वरकृत इन अनुपम कृतियों (स्त्री-पुरुष) के बीच मानवकृत नियम भेदभाव व शोषण पैदा करते हैं| जिसकी आड़ में मानव अधिकारों व महिलाधिकारों का हनन शुरू होता है| इन सब में लगातार बालिकाओं का घटता लिंगानुपात वैश्विक विकास की बाधाओं में मुख्य जड़ का काम कर रहा है| वास्तव में यह किसी भी देश की शर्मनाक स्थिति है| भारत में 1961-2011 तक की जनगणना के आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में बाल लिंगानुपात लगातर घट रहा है, जिसके चलते कदम-कदम पर महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है| अतः बालक तथा बालिकाओं के मध्य लिंग अनुपात में संतुलन होना आवश्यक है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब वैश्वीकरण के स्थान पर देश में महिला विहीन समाज की स्थिति आ जाएगी| पिछले 65 वर्षों में भारतीय जनसंख्या में लिंग अनुपात लगातार कम हुआ है। जोकि चिन्ता का विषय है, भारत में लिंग अनुपात में गिरावट का प्रमुख कारण लड़कें और लड़कियों के प्रति भेदभाव पूर्ण मानसिकता का होना है। सरकार द्वारा विभिन्न नितियाँ चलाकर निम्न लिंगानुपात को उठाने हेतु प्रयास कियें जा रहे हैं। लेकिन, चूंकि यह एक सामाजिक समस्या है अतः इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पुरूष वादी मानसिकता को बदलना अनिवार्य है।

मुख्य शब्द: *वैश्वीकरण, विकास, मानव, लिंगानुपात, घटता बाल लिंगानुपात|*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

परिचय

समाज में मानव के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, तथा लैंगिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली प्रगति, समृद्धि, सुदृढ़ता और बेहतर होने या बनाने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति उत्तम जीवन जी सके| परन्तु एक ओर जहां मनुष्य जाति में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को मानव कहा जाता है, मावन के तहत स्त्री-पुरुष दोनों को सम्मिलित किया जाता है| दोनों ही सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, तथा मानव जन्म लेते ही मानवाधिकारों का हक़दार हो जाता है| वहीँ

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

दूसरी ओर जब पुरुष और महिलाओं के जीवन दर में भिन्नता प्रदर्शित होती है अथवा बालकों की संख्या पर बालिकाओं का जन्म और जीवन अनुपात कम होता है तो इस चिन्ता जनक स्थिति के चलते विकास की यह नीति किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए निष्फल हो जाती है| मानवीय आबादी में प्रति एक हजार स्त्री और पुरुष की समान जनसंख्या के आधार पर लिंग अनुपात का निर्धारण किया जाता है जिसमे बाल लिंग अनुपात हेतु किसी विशेष क्षेत्र में जन्म लेने वाले 0-6 वर्ष के 1000 बालकों की संख्या पर समान क्षेत्र व समयावधि में पैदा होने वाली बालिकाओं का जन्म और जीवन अनुपात देखा जाता है| भारत में यह अनुपात इतना असंतुलित है कि भारत अपनी लौंगिक असमानता के लिए कुख्यात है। लिंग अनुपात का घटना चुप आपातकाल है लेकिन संकट वास्तविक है|

वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसके सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए समाज में मानवीय समानता होना परम आवश्यक है| इसमें समूचे विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु दूसरी ओर वर्तमान युग में घटता लिंग अनुपात वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा रहा है| यह सम्पूर्ण विश्व को एक नव-साम्राज्यवाद युग में ले जाता प्रतीत हो रहा है| जिसके कारण समाज में महिलाओं का अनुपात कम हो रहा है जो पूरे विश्व के लिए एक शर्मनाक स्तिथि है| वास्तव में जब भी हम किसी क्षेत्र, समाज, राज्य या देश के विकास बात करते हैं तब उसके लिए महिला व पुरुष की एक समान भागीदारी आवश्यक होती है| परन्तु यह एक दुःखमय स्थिति है जिससे सामाजिक बुराइयों को बल मिलता है| फलस्वरूप वैश्विक विकास पूर्णतः बाधित होता प्रतीत होता है|

"स्त्रियां योग्य होती है किन्तु वे अपनी योग्यता का उपयोग घर की चार दिवारी में ही करती हैं, उनकी क्षमता का उपयोग राजकीय कार्यों में कराया जाना चाहिए|" – ई.पू. प्लेटो (रिपब्लिक), का यह तथ्य वर्तमान में महिलाओं की वास्तविक क्षमता को प्रदर्शित करता है चूँकि वैश्वीकरण के कारण आज महिलाएं अवसर मिलने पर घरेलू व सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में संतुलित भूमिका निभाकर परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहीं है| वर्तमान में उच्च शिक्षा, बैंकिंग, बीमा कंपनियों, रेलवे, हेल्थ सेंटर, आई.टी., सेना, प्रशासनिक सेवा व अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों में महिलाओं ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है| शिक्षा व समान अधिकारों के फलस्वरूप महिला विकास हेतु अनेक अवसरों के द्वार खुले हैं| रोजगार सुलभ हो गया है| अतः वैश्वीकरण ने दुनिया को एक गाँव में बदल दिया है| अतः विश्व के किसी भी भाग में होने वाला परिवर्तन या विकास महिलाओं को प्रभावित करने के साथ-साथ उनसे प्रभावित भी होता है|

निःसंदेह, भारत में 21वीं से महिलाओं की उच्च शिक्षा से लेकर व्यापार और राजनीति में अंहम भूमिका रही है लकिन यह सिक्के का मात्र एक पहलू है| दूसरे पहलू में घर के अन्दर औरतों की शोषित स्थिति छिपी हुई है जोकि सामाजिक मूल्यों, परम्पराओं और संस्कृति के नाम पर बालकों की तुलना में बालिका लिंग अनुपात को कम करता है| चूँकि भारत अपनी लैंगिक असमानता के लिए कुख्यात है और शिशु लिंग अनुपात का घटना एक गुप्त आपातकाल की भांति बढ़ता है जिसका संकट वास्तविक होता है, अतः वैश्वीकरण पर इसका प्रभाव एक भयानक और शर्मनाक भविष्य के रूप में दिखाई दे रहा है| ऐसी स्तिथि में राष्ट्र का विकास संभव नहीं है, चूँकि स्त्री व पुरुष दोनों ही प्राणी के जीवन और विकास रूपी गाड़ी के दो पहियें हैं, जिनमे दोनों की संतुलित भागीदारी अनिवार्य होती है| अतः बाल लिंग

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अनुपात में गिरावट के कारण स्त्रियों की जीवन संख्या संकटमय बनी हुई है| जिसके चलते भारत जैसे विकसित देश का वैश्विक स्तर पर ही नहीं बल्कि सामान्य स्तर पर भी मानवीय विकास बाधित है|

भारत एक ऐसा देश है जहां बेटों को बेटियों की तुलना में अधिक वरीयता दी जाती है| विशेष रूप से मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में, वहां समृद्धि में वृद्धि होने से प्रजनन दर में गिरावट के साथ विषम लिंग अनुपात भी देखा गया है| इसके पीछे लोगों की आर्थिक व शैक्षिक मजबूती भी एक प्रमुख कारण रही है जो वैश्वीकरण का नकारात्मक रूप है| इससे साक्षरता दर और आय में वृद्धि हुई है जिससे लोगो में लिंग परीक्षण की पहुँच आसान हो गयी है| समाज में लगातार घटती जा रही शिशु लिंग अनुपात दर का कारण प्राकृतिक नहीं है और न ही इसका सम्बन्ध अमीरी या गरीबी से है| यह एक मानव निर्मित समस्या है जो देश के सभी हिस्सों, जातियों, वर्गों, और समुदायों में व्याप्त है| भारत में असंतुलित बाल लिंग अनुपात के विभिन्न कारण हैं जैसे- समाज में सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक मानसिकता का होना, महिला शिक्षा व सशक्तीकरण में कमी होना, दहेज़ प्रथा, सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा, आधुनिक तकनीक (अल्ट्रासाउंड, एम्नियोसिन्टेसिस) का गलत उपयोग होना, सुरक्षा अधिनियमों की असफलता, आय में वृद्धि व गिरता प्रजनन दर तथा परिवार के आकर में पुत्रों को प्राथमिकता देने के कारण जन्म के बाद शिशु कन्या की देखभाल न करना आदि| इन सभी कारणों ने भारत में कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है जिससे भारत के आधे से अधिक राज्यों में बालिकाओं का अनुपात बालकों की तुलना में निम्न है, साथ ही देश के कई हिस्सों में लड़कियों की खरीद-फरोख्त के मामले सामने आते रहते हैं| इस प्रकार यह न केवल लिंग न्याय और समानता का विषय है बल्कि हिंसा, मानव विकास एवं लोकतंत्र भी है| जिसको दूर किये बिना वैश्वीकरण में महिलाओं के योगदान के अभाव को दूर नहीं किया जा सकता है| अतः लिंगभेदी बीमारी से ग्रस्त भारतीय समाज को बाल लिंग अनुपात को संतुलित करना आवश्यक है चूँकि इसके अभाव में न किसी परिवार का विकास किया जा सकता है और न ही राष्ट्र विकास संभव है|

भारत में घटते बाल लिंग अनुपात की भयावह स्थिति- "एक नजर"

भारत में बाल लिंग अनुपात लगातार घटता जा रहा है| वर्ष 1961 से लेकर 2011 तक की जनगणना का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले दशकों में बाल लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष के आयु समूह) में लगातार गिरावट हुई है। पिछले 50 सालों में बाल लिंग अनुपात में लगभग 60 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है, (Figure- 01) लेकिन पिछले दशक (2001-2011) के दौरान इसकी संख्या में सबसे अधिक कमी देखी गयी है| वर्ष 2001 की जनगणना में जहाँ 6 वर्ष तक की आयु में प्रति 1000 बालक पर बालिकाओं की संख्या 927 थी। वहीं 2011 में घटकर 914 (918, 2015-16 में) हो गयी। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज़ादी के बाद भारत में अब तक की जनगणना में यह अनुपात सबसे निम्न है|

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

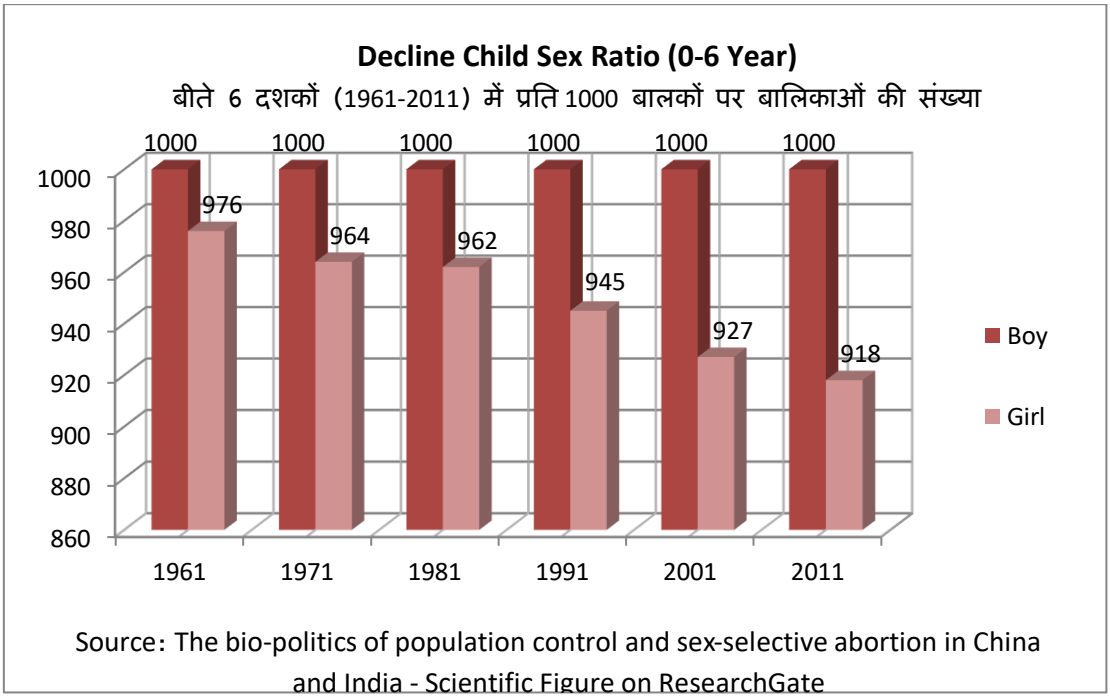

Source: The bio-politics of population control and sex-selective abortion in China and India - Scientific Figure on ResearchGate

Figure- 01

देश के विभिन्न राज्यों के बाल लिंगानुपात पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट होता है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमे 2001-2011 के मध्य बाल लिंग अनुपात में सुधार होने के बावजूद उनका आंकड़ा 900 तक भी नहीं पंहुच पाया है| इनमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली तथा चंडीगढ़ आदि राज्य ऊपरी स्थान पर हैं| पिछले 30 सालों के आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाल लिंगानुपात में विभिन्न उतार-चढ़ाव के बावजूद पंजाब और हरियाणा राज्य सबसे निचले पायदान पर प्रतीत होतें हैं, (Table-01) 1991 में सबसे निम्न बाल लिंग अनुपात वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर पंजाब (875), दूसरे स्थान पर हरियाणा (879) तथा तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ (899) राज्य रहें| 2001 में भी प्रथम स्थान पर भारी गिरावट के साथ पंजाब (798), दूसरे स्थान पर हरियाणा (819) का अनुपात रहा जबकि तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ (845) राज्य रहा जिसका बाल लिंगानुपात 1991 में काफी अच्छा था| वहीँ 2011 में प्रथम हरियाणा 834, दूसरा पंजाब 846 तथा तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर 862 (941 से घटकर) बालिकाओं की संख्या में सबसे निम्न बाल लिंग अनुपात वाले राज्यों की श्रेणी पर आते हैं| इन आंकड़ो से यह स्पष्ट होता है कि 1991-2001 के दशक में इन राज्यों में बालिकाओं की संख्या में तीव्रता से कमी आयी है जबकि अगले दशक 2001-2011 में इन राज्यों ने बाल लिंगानुपात के सुधार हेतु अथक प्रयास प्रारंभ किये, जिससे निम्न बाल लिंग अनुपात के खतरों से बचा जा सके| परन्तु 2011 के आंकड़ो के अनुसार यहाँ अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है|

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

बीते 30 वर्षों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात (0-6 year) वाले राज्य Source- Census of India 2011 (www.censusindia.gov.in) Supported by UNICEF			
Year	**State & Ratio**		
	1st	**2nd**	**3rd**
1991	पंजाब- 875	हरियाणा- 879	छत्तीसगढ़- 899
2001	पंजाब- 798	हरियाणा- 819	चंडीगढ़- 845
2011	हरियाणा- 834	पंजाब- 846	जम्मू-कश्मीर- 862

Table- 01

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2011 के जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में सबसे निम्न बाल लिंगानुपात वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर हरियाणा 834, दूसरे स्थान पर पंजाब 846 तथा तीसरे स्थान पर जम्मू-कश्मीर 862 हैं| परन्तु 2001-2011 के आंकड़ों में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या में आने वाली गिरावट के अनुसार जम्मू-कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां 2011 में, 2001 की तुलना में बालिकाओं की संख्या में सबसे अधिक (79) अंकों की गिरावट दर्ज की गयी, (Figure- 02) इसमें दूसरे स्थान पर दादर-नगर हवेली में 53 बालिकाओं, तीसरे स्थान पर लक्ष्यद्वीप 48, चौथे स्थान पर आँध्रप्रदेश 22 तथा दमन और द्वीप 22 एवं पांचवें स्थान पर राजस्थान में 21 बालिकाओं के कमी दर्ज की गयी| इसी क्रम में महाराष्ट्र 19, उत्तराखंड 18, झारखंड 17 बालिकाओं की संख्या घटाते हुए क्रमशः छटवें, सातवें और आठवें स्थान पर आतें हैं| भारत में सबसे निम्न बाल लिंगानुपात हरियाणा राज्य के झज्जर में 774 है|

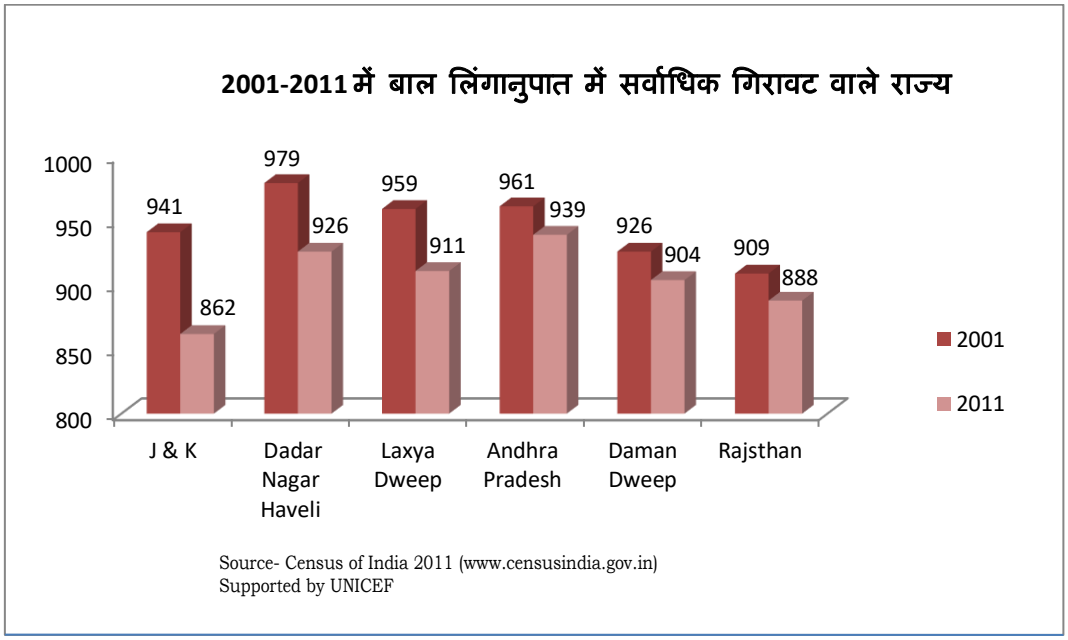

Figure- 02

उपरोक्त आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता के बाद भारत में आर्थिक विकास जितनी तीव्रता के साथ हुआ है उतनी ही तीव्रता से बाल लिंग अनुपात में गिरावट आयी है| दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडू आदि विभिन्न विकसित राज्यों में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बालिका

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शिशु अनुपात की स्थिति निराशाजनक है| जनसंख्या विस्फोट को रोकने हेतु किये गये प्रयासों का एक कुप्रभाव असंतुलित लिंग अनुपात के रूप में भी दिखाई देता है चूँकि परिवार नियोजन करते समय जब परिवार, कम बच्चे पैदा करने का निर्णय लेते हैं तो परिवार की महिलाओं पर पुत्र को जन्म देने का दबाव बढ़ जाता है| समाज में छोटा परिवार, एक बेटी की तुलना में एक बेटा पैदा करने की अनिवार्यता को मजबूत करता है|

निम्न बाल लिंगानुपात सुधार हेतु सरकार के बढ़ते कदम

वर्तमान स्थिति और भविष्य की चिन्ता को देखते हुए आधुनिक दुनिया के साथ भारत सरकार ने महिला बचाव उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाल लिंग अनुपात बढ़ाने और बालिका जन्म सुधार के लिए सरकार ने निम्नांकित कदम उठायें है।

- **भारतीय दंड संहिता, 1860**

भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत प्रावधान में धारा 312 के अनुसार, "जो कोई भी जानबूझकर किसी गर्भवती माता का गर्भपात कराता है जब तक कि उक्त महिला के जीवन के लिए गर्भावस्था का जारी रहना खतरनाक न हो, उसे 7 साल की सजा दी जाएगी|" इसमें धारा 313 के अनुसार, स्वयं महिला द्वारा भी गर्भपात की कोशिश करना भी दंडनीय अपराध है|

- **लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994**

पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (1994) अधिनियम, 20 सितम्बर 1994, भारत के कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है| जिसके द्वारा प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबन्ध लगाकर गैरकानूनी घोषित कर दिया है| जिसके अंतर्गत लिंग जाँच के लिए अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनो ग्राफी कराने वाले पति-पत्नी एवं करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को 3-5 साल की सजा और 10-15 हजार रुपयें जुर्माने का प्रावधान है|

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBPY)**

BBBPY की शुरुआत 22 जनवरी, 2015 को ऐसे 10 राज्यों में की गयी जिनमे बाल लिंग अनुपात निम्न था| यह योजना 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय', 'स्वास्थ्य मंत्रालय', 'परिवार कल्याण मंत्रालय' एवं 'मानव विकास मंत्रालय' की एक संयुक्त पहल है| जो लड़की के जन्म उपरान्त उसकी जन्म तिथि मनाने, उस पर गर्व करने तथा उसको शिक्षित करने की ओर ध्यान केन्द्रित करती है| बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना से देश के 104 जिलों में लिंग अनुपात बेहतर देखा गया है| महिला एवं बाल विकास मत्रांलय के अनुसार यह कार्यक्रम 161 राज्यों में शुरु किया गया था| उनके अनुसार 119 जिलों में गर्भ धारण के पहले 3 माह में पंजीकरण कराने के मामलें में प्रगति आई है।

- **बालिका बचाओ योजना**

यह योजना बालिकाओं के जन्म और जीवन को सुरक्षित करने हेतु प्रयासरत है, जिसकी शुरुआत गाँधी जी की 138वीं जयंती के अवसर पर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटेल जी ने 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' के अंतर्गत की|

- **सुकन्या समृधि योजना**

सरकार द्वारा जनवरी, 2015 में प्रारंभ की गयी यह योजना देश में अधिक से अधिक लड़कियों को बचाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से बेहतर व सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए प्रयासरत है|

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- **शुभलक्ष्मी योजना**

राज्य सरकार राजस्थान द्वारा निम्न बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए, बालिका के पैदा होने को शुभ मानने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शुभलक्ष्मी योजना प्रारंभ की| इस योजना के अंतर्गत परिवार में बेटी का जन्म होने पर माता-पिता को 2100 रूपये दिए जायेंगे| इसके अतिरिक्त उक्त बेटी को पढ़ाई के समय 3100 रूपये का चैक और विवाह के समय 7300 रूपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है|

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कई प्रकार की योजनाओं व प्रावधानों के द्वारा भारत में बाल लिंग अनुपात को संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है| जिसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी क्रियाशील हैं| उदाहरणार्थ- लाडली लक्ष्मी योजना (मध्य प्रदेश), लाडली- दिल्ली व हरियाणा, मुख्यमंत्री कन्या सुकन्या योजना (बिहार), गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (आन्ध्र प्रदेश), भाग्यलक्ष्मी स्कीम (कर्नाटक) आदि विभिन्न प्रकार की योजनायें अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रहीं हैं, जिससे घटते बाल लिंग अनुपात में सुधार किया जा सके| फलस्वरूप 2011 के जारी आंकड़ों में हमें 2001 की तुलना में सुधार देखने को मिलता है| 2011 में सर्वश्रेष्ट प्रदर्शनकारी राज्यों में प्रथम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 972, दूसरे स्थान पर मेघालय व मिजोरम 970, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ 969 तथा चौथे स्थान पर अंडमान निकोबार 968 हैं| प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने 2001 से 2011 में तुलनात्मक रूप से बालिकाओं की संख्या में सबसे अधिक कुल 48 अंकों की बढ़ोत्तरी करके 798 से 846 का अनुपात प्राप्त किया है, (Figure- 03) इसके साथ चंडीगढ़ राज्य में 35 बालिकाओं, हरियाणा में 15, हिमाचल प्रदेश 13, तथा अंडमान निकोबार में कुल 11 बालिकाओं की वृद्धि दर्ज की गयी जिसके उपरांत 2011 में उक्त राज्यों का बाल लिंगानुपात क्रमशः 880 (चंडीगढ़), 834 (हरियाणा) 909 (हिमाचल प्रदेश) तथा 968 (अंडमान निकोबार) तक पंहुच गया है| दूसरी ओर यह अनुपात बालकों की तुलना में संतोषजनक नहीं है तथा अधिक सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करता है|

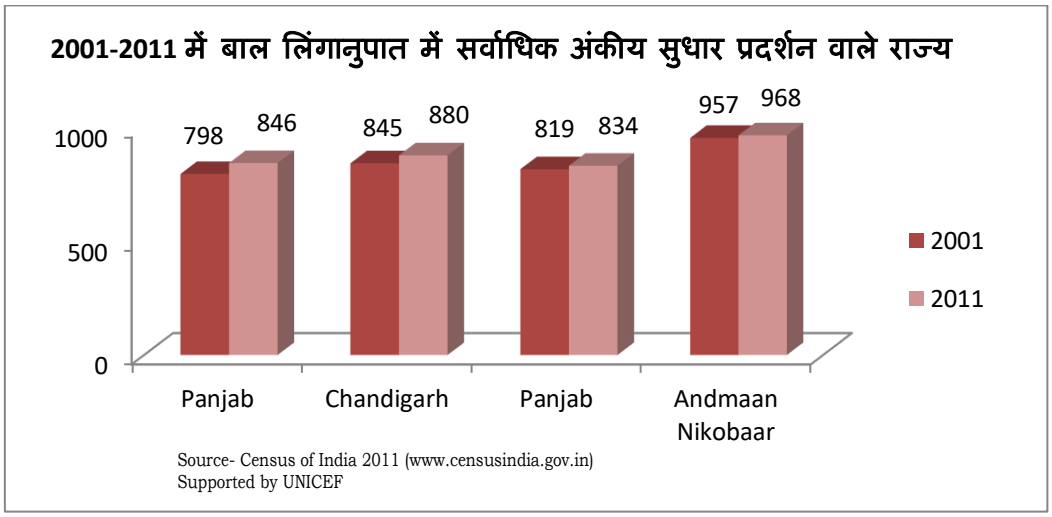

Figure- 03

बीते तीन दशकों (30 वर्षों) के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाले राज्यों में 1991 में प्रथम स्थान पर दादर नगर हवेली राज्य में बालिकाओं का अनुपात (1013) बालकों (1000) की तुलना में 13 अंक ऊपर रहा, वहीँ दूसरे स्थान पर नागालैंड (993) तथा तीसरे स्थान पर उड़ीसा (987) का नाम दर्ज हुआ| आश्चर्य की बात यह है कि बालिकाओं की संख्या में 34 अंको की गिरावट के बावजूद, 2001 में भी प्रथम स्थान पर दादर नगर हवेली (979) रहा| 2001 में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ (975) और तीसरे स्थान पर मेघालय (973) राज्य रहे| 2011 में देश में बालिकाओं की संख्या अनुपात में काफी सुधार देखा गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जो बाल लिंगानुपात में सुधार कर 979 अनुपात के साथ प्रथम स्थान पर दर्ज किया गया, जबकि दूसरे स्थान पर मेघालय व मिजोरम (970) तथा तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ (973) ने अपना नाम दर्ज कराया, (Table-02) प्रस्तुत आंकड़ों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि बालक व बालिकाओं के अनुपात में सुधार के आंकडें संतोषजनक नहीं हैं, चूँकि 1991 में जहां प्रथम स्थान पर 1013 बालिकाओं वाला राज्य अंकित था वहीँ 2011 में प्रथम स्थान का अनुपात गिरकर 979 बालिकाओं की संख्या वाले राज्य तक पंहुच चुका है| अतः बाल लिंग अनुपात में अभी अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है|

बीते 30 वर्षों में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात (0-6 year) वाले राज्य
Source- Census of India 2011 (www.censusindia.gov.in)
Supported by UNICEF

Year	**State & Ratio**		
	1st	**2nd**	**3rd**
1991	दादर नगर हवेली-1013	नागालैंड- 993	उड़ीसा-987
2001	दादर नगर हवेली-979	छत्तीसगढ़- 975	मेघालय- 973
2011	अरुणाचल प्रदेश-972	मेघालय/मिजोरम-970	छत्तीसगढ़-969

Table-02

विभिन्न प्रयासों व सुधारों के बावजूद, बाल लिंगानुपात के आंकड़े बताते हैं कि घटते बाल लिंगानुपात को कम करने वाली नीतियों व एक्ट जैसे- P.C. & P.N.D.T. आदि का कोई असर नहीं दिख रहा है जिनका सख्ती से पालन करना आवश्यक है| सरकार की लाखों कोशिशों के बावजूद समाज में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएँ कम होने के स्थान पर शिक्षा के साथ बढ़ रहीं हैं| कन्या भ्रूण हत्या देश की मानव समाज में लड़की और लड़के की जनसंख्या में भारी अंतर पैदा कर रही है| भारत में घटता बाल लिंग अनुपात बाल विकास की एक प्रमुख चुनौती है, इसके निवारण हेतु सम्पूर्ण समाज के द्वारा अहम कदम उठाये जाने की आवश्यकता है|

राष्ट्र के विकास हेतु निम्न बाल लिंग अनुपात की इस चुनौती का सामना करने के लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) को नियमित रूप से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए| जिससे समाज में निम्न बाल लिंग अनुपात के प्रति जागरूकता लायी जा सके| क्योंकि समाज में प्रत्येक उम्र, लिंग, जाति, धर्म के व्यक्तियों को कन्या भ्रूण हत्या के कारण तथा उसके सामाजिक नुकसान के बारें में अवगत होना आवश्यक है| बच्चों (लड़कों) को प्रारंभ से ही परिवार व विद्यालयों में

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

लड़कियों के प्रति सम्मान और आदर सिखाया जाना चाहिए| स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में लड़कियों के गिरते लिंग अनुपात के कारण व समाज में भविष्य में इससे पनपने वाले खतरों को पढ़ने और पढ़ाने की अनिवार्यता की जाये| नियमित अंतराल पर गाँव व शहरों के लोगों की पुरूष रूढिवादी मानसिकता पर शिक्षा, नाटकों, रैलियों, समूह मीटिंग/चर्चा आदि के द्वारा चोट की जानी चाहिए, जिसमे युवा शक्ति की मुख्य भूमिका होती है| देश की युवा पीढ़ी और सरकार द्वारा घटते बाल लिंग अनुपात के खिलाफ अपनी आवाज पहुँचाने हेतु इंटरनेट व सोशल मिडिया का उपयोग एक सशक्त माध्यम के रूप में किया जा सकता है| साथ ही देश के कानून को कन्या सुरक्षा हेतु सख्त से सख्त कानून बनाकर उन्हें दृढ़ता से लागू किया जाना अनिवार्य है, तभी उक्त नियमों का पालन हो पायेगा| दूसरी ओर समाज से ऐसी पितृ सत्तात्मक मानसिकता का अन्त किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों से कम महत्व दिया जाता है|

निष्कर्ष

राष्ट्र के विकास अथवा वैश्वीकरण को मात्र एक आर्थिक विकास की परिघटना मान लेना उचित नहीं है बल्कि यह समाज के सभी पक्षों के समान विकास की स्थिति है| जहां एक ओर भारत शैक्षिक, आर्थिक एवं तकनीकी रूप से विकसित हो रहा है वहीँ दूसरी ओर उत्तर भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात की घटती दर चिंताजनक है| भारत में जैसे-जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है वैसे-वैसे बेटियों के जन्म में कमी आयी है| वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति के साथ राष्ट्र का तकनीकी विकास होने के कारण ऐसी तकनीकों तक लोगो की पंहुच आसन हुई हैं जिससे महिला के गर्भ में ही शिशु के लिंग का पता लगाया जा सकता है| इससे देश में कन्या भ्रूण हत्या में द्रुत गति से वृद्धि हुई है| बीते वर्षों में जहां एक ओर समाज में शैक्षिक विकास के साथ-साथ महिला शिक्षा का विकास हुआ है वहीँ दूसरी ओर समाज में पुत्र महत्त्व की रुढ़िवादी मानसिकता में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आया है| वर्तमान में भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्त्व दिया जाता है जिसकी शुरुआत परिवार से ही होती है| चूँकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, जहां परिवारों में पुत्र जन्म को वंश का आधार माना जाता है और पुत्री को पराया धन की संज्ञा दी जाती है| इस प्रकार की विभिन्न परम्पराओं व मान्यताओं के चलते पुरुषों को एक जिम्मेदार व आत्मनिर्भर व्यक्ति माना जाने लगा तथा महिलाएं एक जिम्मेदारी मात्र बनकर रह गयीं| जिससे उनके जन्म को परिवार में इक बोझ समझा जाने लगा, जो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक पिता, भाई, पति तथा पुत्र जैसे पितृसत्तात्मक नातों पर निर्भर हो गयी और महिलाओं का महत्त्व कम होता चला गया| फलस्वरूप भारत में प्रति दशक बालिका लिंगानुपात में भारी गिरावट आयी और धीरे-धीरे लिंग असमानता के कुप्रभाव हमारे सामने आने लगे, जैसे- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि होना, आपराधिक यौन समस्या एवं रोगों के संक्रमण में वृद्धि होना, गरीब महिला हिंसा व तस्करी को बढ़ावा आदि| दूसरी ओर निम्न बालिका अनुपात के दीर्घकालीन प्रभाव जैसे- पारिवारिक वंश का रुकना, भविष्य पुरुष विवाह हीनता, आजीवन महिला अभाव और सामाजिक मुख्य धारा का अपवर्जन तथा जनसंख्या जन्मदर का अन्त आदि एक संकटमय भविष्य के रूप में दिखाई दे रहा है| अतः स्पष्ट है कि निम्न बाल लिंगानुपात के प्रभाव वैश्वीकरण विरोधी स्थिति को पैदा करते हैं| क्योंकि यह एक प्राकृतिक सत्य है कि बालिकाओं/महिलाओं के आभाव में किसी भी परिवार या राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है इनके निर्माण और विकास में पुरुष के साथ-साथ स्त्रियों की भी समान रूप से भागीदारी अनिवार्य होती है| लगातार घटते लिंग अनुपात के कुप्रभावों के कारण

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जनजीवन प्रभावित होने तथा भविष्य के संकटों को देखते हुए सरकार ने महिलाओं को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास प्राम्भ किये| बाल लिंगानुपात संतुलन हेतु सरकार ने सर्वप्रथम कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु 'लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम-1994' (Gender selection prohibition act, 1994) लागू किया जिसके अंतर्गत गर्भावस्था में लिंग जाँच करना व करना दोनों गैरकानूनी है| इसके अतिरिक्त शुभलक्ष्मी योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना, बालिका बचाओं योजना, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा भारत में बाल लिंग अनुपात को संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है|

2003 में समाज में घटती महिलाओं की संख्या पर 'मातृभूमि: ए नेशन विदआऊट वूमेन' (Matrubhoomi: A Nation Without Women) नामक एक फिल्म आयी थी, इसमें भविष्य के एक ऐसे गाँव की शर्मनाक व भयानक कल्पना को साकार किया गया है जहाँ वर्षों से होते आ रहे महिला शोषण और बालिका शिशु हत्या के चलते अब यहाँ एक भी महिला या लड़की जीवित नहीं थी| दरअसल, यह समाज को भविष्य की चेतावनी देने वाली फिल्म है कि महिलाओं अथवा बेटियों के प्रति अनचाहे रुख की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है| वर्तमान में इस फिल्म की कई चेतावनी वैश्विक विकास में बाधा बनकर भारत के सामने हैं| ऐसी चेतावनी की हकीकत से बचने हेतु हमें घटते लिंग अनुपात के प्रति सचेत होना और बाल लिंग अनुपात दर को संतुलित करना परम आवश्यक है| अन्यथा वैश्विक विकास नहीं किया जा सकता है| परन्तु केवल सरकारी प्रयासों के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, चूँकि यह एक सामाजिक समस्या है, अतः इसका अन्त भी समाज के सहयोग द्वारा हो सकता है| इसके लिए देश के सभी नागरिकों को महिलाओं के महत्व को स्वीकार करना अनिवार्य है तभी समाज को लिंगभेदी बीमारी से मुक्ति दिलाई जा सकती है अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब महिला विहीन समाज की स्थिति आ जायेगी|

संदर्भ ग्रंथ

डॉ. पाठक, एस. (2018), "वैश्वीकरण का अर्थ क्या है?" क्योटा

अनीस, ज. (2017), "घटता बाल लिंग अनुपात: पित्रसत्तात्मक मानसिकता का समाज और सरकार की चोट जरुरी" गोरखपुर न्यूज लाइन Available from: https://gorakhpurnewsline.com/7478-2/

नायर, एस. (2016), "भारत में बढ़ रही है लोगों की आमदनी, लेकिन बेटियों के जन्म में कमी" इंडियास्पेंड. Available from: https://archive.indiaspendhindi.com

धर, अ. (2016) "914, बाल लिंग अनुपात स्वतन्त्रता के बाद सबसे कम है" आई.एस.टी.

अनीस, ज. (2014), "मध्य प्रदेश में जारी है बाल लिंग अनुपात का घटना" नागरिक संघर्ष Available from: http://mymplssm.blogspot.com/2014/01/blog-post_14.html?m=1

अख्तर, व. (2012), "असंतुलित होता बाल लिंग अनुपात और भविष्य की चुनौतियाँ" प्रवक्ता डॉट काम Available from: https://www.pravakta.com/child-sex-ratio-is-unbalanced-and-future-challenges/

जौली, अ. (2006), "चिंताजनक है उत्तर भारत में स्त्री पुरुष अनुपात" बी बी सी संवाददाता

The bio-politics of population control and sex-selective abortion in China and India - Scientific Figure on Research Gate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Indias-sex-ratio-Total-and-0-6-years-Source-Census-of-India-from-1961-to-2011-Note_fig2_313674392

Census of India 2011. Supported by UNICEF. Available from: https://www.censusindia.gov.in/2011census/censusinfodashboard/downloads.html

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Ramaiah, G & Chandrasekarayya, T & Vinayaga Murthy, Parasuraman. (2010). Declining Child Sex Ratio in India: Trends, Issues and Concerns. Asia Pac J Soc Sci. 3. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/266285185_Declining_Child_Sex_Ratio_in_India_Trends_Issues_and_Concerns#:~:text=The%20provisional%20data%20in%202011,children%20in%20the%20last%20decade.
https://www.census2011.co.in/sexratio.php#:~:text=In%20the%20Population%20Census%20of,to%20that%20of%201000%20males.
https://censusindia.gov.in/?q=Child+sex+ratio+in+deferent+states+of+India
https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/child-sex-ratio-in-indian-states-as-per-census-2011-1522669919-1
https://factly.in/beti-bachao-india-needs-to-learn-from-its-scheduled-tribes-sts/amp/
https://factly.in/the-beti-isssue-declining-child-sex-ratio/
https://www.india.gov.in
https://www.news18.com/news/partner-content/government-schemes-and-policies-for-girl-child-empowerment-2275341.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Matrubhoomi

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies